

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली





नं०:- 7/2018

तारीखरजू:-20.06.2018

उनवान:- मोतीसिंह बनाम गंगाराम वगै०

भीमपुर

इजराय डिकी पालना

दिनांक	फर्द अहकाम
6.2018	डिकीदार की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने मु०न० 142/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 मे जारी डिकी की पालना मे इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु डिकी की प्रति तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक 12.07.2018 को पेश हो।  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
12-7-18	वकील डिकीदार उप०/ पालना प्राप्त नहीं। १०. साठ बाहर दोरे पर पधारे की गतादुआ दिनांक १०-८-१८ को पेश हो।
२-८-१८	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी चंड सिंह है। अतः पत्रावली गतादुआ दिनांक २८-८-१८ को पेश हो। 
२८-८-१८	वकील डिकीदार उप०/ पालना रिपोर्ट प्रेषित की स्मरणपत्र जारी कर पालना प्राप्त कर दिनांक २८-९-१८ को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) जनरल प्रेशीस पेश हुई वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी-कुनाय कार्य में उपस्थित है। अतः पत्रावली गतादुआ दिनांक ८-१-१९ को पेश हो। 
८-१-१९	वकील डिकीदार उप०/ तहसीलदार से पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं की स्मरणपत्र जारी कर पालना रिपोर्ट प्राप्त कर दि० ३१-१-१९ को पेश हो। 

2044
21-6-18



111
१-१-१९

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क...

दिनांक	फर्द अहकाम
31-1-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28-2-19 को पेश हो।
28-2-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी स्याना पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28-3-19 को पेश हो।
28-3-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पुनावकार सि भ्रमण पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 30-5-19 को पेश हो।
30-5-19	वकील डिक्रीदा उपो/ इन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 28-6-19 को पेश हो।
28-6-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी इवकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28-7-19 को पेश हो।
26-7-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28-8-19 को पेश हो।
29-8-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीठामै को पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27-9-19 को पेश हो।
27-9-19	वकील डिक्रीदा उपस्थित तहकीलदा टोडाभीम से डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। डिक्री की पालना हो चुकी है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही ड्राप की जाती है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नाम से काम होकर दारिल दफ़तर हो।